फा.सं.1/8/2021-सा.II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069.

निविदा आमंत्रण सूचना

गोपनीय शाखा के लिए परीक्षा सामग्री की खरीद हेतु इस क्षेत्र के अनुभवी एवं पिछले तीन वर्षों में दस लाख रुपए के वार्षिक कारोबार वाले वेंडरों से दो बोली प्रणाली के तहत वार्षिक संविदा प्रदान करने के लिए ऑन-लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। निविदा के विशिष्ट विवरण इस दस्तावेज के अनुबंध-I पर उल्लिखित हैं। मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

निविदा दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ हेतु) एवं सीपीपीपी साइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app से निम्नानुसार डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी समय सीमा क्रिटिकल डेट-शीट में दी गई है जो निम्नवत है :-

क्रिटिकल डेट-शीट

सीपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशन की तिथि	31.01.2022
दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	31.01.2022
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	21.02.2022
बोली प्रस्तुतीकरण शुरु होने की तारीख	31.01.2022
स्पष्टीकरण प्रारंभ होने की तिथि	31.01.2022
स्पष्टीकरण की अंतिम तिथि	10.02.2022
ऑन-लाईन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	21.02.2022 को 1600 बजे
तकनीकी बोलियों को खोलने की तिथि एवं समय	22.02.2022 को 1600 बजे
धरोहर जमा राशि (ईएमडी)	रु.82,000/-

बोलियां केवल सीपीपीपी की वेबसाइट : https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगीं।

बोलीदाताओं को ई-प्रोक्योरमेंट के लिए केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल 'https://eprocure.gov.in/eprocure/app' के माध्यम से बोलियों की ई-प्रस्तुति करने के लिए ठेकेदारों/ निविदाकर्ता को निर्देश' में दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

बोली दस्तावेजों को श्वेत-श्याम विकल्प के साथ **100 डीपीआई** के साथ स्कैन किया जा सकता है जो कि स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में कारगर है।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. **बोलियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**:-

बोलियां **केवल केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट)** के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।

निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दो भागों में ऑन-लाईन प्रस्तुत की जाएंगी, जैसे कि तकनीकी बोली तथा मूल्य बोली :-

- दस्तावेज अपलोड करने के पहले प्रस्तुत की जाने वाली बोली के समस्त पृष्ठों में बोलीदाता के **हस्ताक्षर तथा क्रमांक होना** आनिवार्य है चाहे दस्तावेज किसी भी प्रकृति के हों।

- फैक्स / ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नही किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

- **सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आडर्र के रूप में 82000/- रू. (बयासी हजार रू. मात्र) की धरोहर जमा राशि की मूल लिखत की हार्ड प्रति अवर सचिव (सामान्य-II), कमरा सं. 208 ए-एएसबी, संघ लोक सेवा आयोग** में क्रिटिकल डेट शीट में उल्लिखित तिथि को या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

i. तकनीकी बोली

बोलीदाता को अनुबंध-V में दर्शाई गई जांच सूची में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होंगी अर्थात् :-

(क) पैन कार्ड की हस्ताक्षर तथा स्कैन की गई प्रति।

(ख) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।

(ग) वित्त वर्ष 2020-21 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष की आयकर विवरणियों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां।

(घ) वित्त वर्ष 2020-21 सहित फर्म के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के प्रत्येक वर्ष के सी.ए. द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट / ऑडिट किए गए बैलेंस शीट की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां।

(ङ) वित्त वर्ष 2020-21 सहित फर्म के पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष का चार्टड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित फर्म का वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।

(च) पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2 खरीद आदेशों के हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रतियां।

(छ) 82,000/- रु. की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।

(ज) अनुबंध-III तथा अनुबंध-IV के अनुसार अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति।

(झ) अनुबंध-I में उल्लिलिखित आयोग के सुपुर्द की जाने वाली मदों के दो नमूने (फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व तारीख एवं मुहर सहित)।

ii. मूल्य बोली

मूल्य बोली की अनुसूची अनिवार्यत: निर्धारित प्रपत्र (बीओक्यू फॉर्मेट) में ही प्रस्तुत की जाए। बोलीदाता अनिवार्यत: मूल्य बोली (अनुबंध-II) के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सीपीपी पोर्टल में बीओक्यू फार्मेट में ही दर को प्रस्तुत करेंगे। दरों को कर छोड़कर उद्धृत किया जाना चाहिए। कर को दरों के साथ अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली में किसी अन्य तरीके से दरों को उद्धत करने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(i) **धरोहर जमा राशि :** निविदा के साथ रु.82,000/- की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत करना अनिवार्यतः आवश्यक है। ईएमडी दिल्ली / नई दिल्ली, में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में जमा करना होगा, ऐसा नहीं होने पर बोली को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। एमएसएमई विभाग द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में यथा-परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के रूप में पंजीकृत फर्म या केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत होने वाले फर्म को दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। अन्य बोलीदाताओं हेतु, ऊपर्युक्त के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ईएमडी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **अंतिम तिथि तक ईएमडी की हार्ड कॉपी प्राप्त न होने की दशा में बोली को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।**

(ii) बोली की वैधता के परे न्यूनतम 45 (पैंतालिस) दिनों की अवधि के लिए ईएमडी वैध होगा।

(iii) निविदा प्रस्तुत करने की अवधि तक ईएमडी को स्कैन करके एवं इ-टेंडरिंग वेबसाईट पर अपलोड करेंगे तथा मूल प्रति संघ लोक सेवा आयोग में (अवर सचिव, (सामान्य-II), कमरा सं.208ए-एएसबी को पहुंचा दिया जाना चाहिए) बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले जमा कराना अनिवार्य है।

(iv) असफल बोलीदाताओं की ईएमडी निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात् लौटा दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं देगा।

(v) <u>ईएमडी की जब्ती</u> :- निविदा प्रक्रिया के अंतिम रूप लेने से पहले किसी भी बोली को वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि कोई बोलीदाता निविदा प्रक्रिया के अंतिम रूप लेने से पहले बोली वापस लेते हैं तो उनकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

2. **कार्यनिष्पादन गारंटी :** सफल बोलीदाता को प्रत्येक तीन वर्षो का कार्यनिष्पादन प्रतिभूति 10% की दर से प्रस्तुत करना आवश्यक है। कार्यनिष्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / एफडीआर / बैंक गारंटी के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली में होगा एवं आशय पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। कार्यनिष्पादन प्रतिभूति समस्त संविदा दायित्वों के पूरा होने के नब्बे दिनों तक वैध रहेगी। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि निविदा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन कार्य पूर्ण नहीं होने पर कार्यनिष्पादन प्रतिभूति को जब्त किया जा सकता है। यह परिसमापन नुकसान/जुर्माने, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा, जो कि इसके नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट के अनुसार लगाया जा सकता है। सफल बोलीदाता को कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर ईएमडी वापस कर दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

<u>पात्रता मापदंड</u>

3. बोलीदाता के पास सरकारी संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को समान वस्तुओं की आपूर्ति का कम से कम, 5 (पांच) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान के कम से कम 2 (दो) क्रय आदेशों की प्रति अवश्य ही संलग्न की जाए।

4. बोलीदाता का पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम से कम 10 लाख रूपए प्रतिवर्ष का टर्नओवर होना चाहिए। इस संबंध में बोलीदाता को वित्त वर्ष 2020-21 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की प्रत्येक वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की गई बैलेंस शीट की प्रतियां तथा चार्टड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र (जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की प्रत्येक वर्ष के वार्षिक टर्नओवर का उल्लेख हो) प्रस्तुत करना होगा।

5. संभावित बोलीदाता को अनुबंध-। पर उल्लिखित, संघ लोक सेवा आयोग को सुपुर्द की जाने वाली मदों के दो नमूनों (फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा मुहर तारीख के साथ) को प्रस्तुत करना होगा । इनमें से किसी भी मद के संबंध में सैम्पल जमा नहीं करने पर बोलीदाता की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. प्रस्तुत किए गए नमूने को अनिवार्यत:, अनुबंध-। में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। सैम्पल पर फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की तारीख सहित मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए। बोलियों के जमा करने की अंतिम तारीख से पहले सैम्पलों को सामान्य-2 अनुभाग, कमरा सं. 007, एएसबी, सं.लो.से.आ., शाहजहां रोड, नई दिल्ली में जमा कर

दिया जाना चाहिए। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए केवल उन्हीं सैंपलों पर वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकार किया गया हो।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>

7. संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से यह संविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन 3 **(तीन) वर्ष** के लिए वैध होगी:-

   (i) संघ लोक सेवा आयोग, अपने विवेकानुसार एक महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकती है।

   (ii) संघ लोक सेवा आयोग, अपने विवेकानुसार इस संविदा को समान निबंधन एवं शर्तों पर तथा तीसरे वर्ष की दर पर एक वर्ष की अवधि तक बढ़ा सकता है।

8. सामग्री की विशिष्टता में किसी भी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में, बोलीदाता के जोखिम पर संपूर्ण आपूर्ति को अस्वीकृत किया जा सकता है। अत: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सामग्रियों की विशिष्टताओं और अनुमोदित नमूने के अनुसार निरंतर गुणवत्ता पर कायम रहें। इस क्रम में, यदि यह पाया जाता है कि बोलीदाता घटिया अथवा निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति कर रहा है तो, फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

9. निविदा नमूने को भविष्य की सभी आपूर्तियों तथा निविदा अवधि के दौरान समस्त आपूर्तियों के लिए अग्रिम नमूना माना जाएगा, यदि आपूर्ति की गई मदों की गुणवत्ता पर कोई भी संदेह पैदा होता है तो, संघ लोक सेवा आयोग आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर किसी भी सरकारी प्राधिकृत प्रयोगशाला से जांच करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10. अनुमानित वार्षिक मात्रा अनंतिम है और संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

11. बोलीदाता प्रत्येक तीन वर्ष के लिए प्रत्येक मदों (ब्यौरा अनुबंध-।। में) के लिए मूल्य बोली में वार्षिक इकाई दर इंगित करेंगे। दरों में संघ लोक सेवा आयोग तक सामग्रियों का परिवहन / अनलोडिंग संबंधी सभी प्रभार शामिल होंगे। निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं की गई बोलियां अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

12. करों को दरों के साथ अलग से उद्धृत किया जाएगा। जिन बोलीदाताओं ने कर की दरों को अलग से उद्धृत नहीं किया है उन्हें विचारणीय नहीं समझा जाएगा तथा उनकी बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

13. **बोलियों का मूल्यांकन**

(i) **तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन** : बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली दस्तावेजों और सामग्रियों के सैम्पलों के आधार पर तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) **वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन** :

क) केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी, जिनकी तकनीकी बोलियों को विस्तृत जांच के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

ख) वित्तीय मूल्यांकन सभी तीन वर्षों के लिए प्रत्येक मद हेतु उद्धृत दरों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। एल-1 का निर्णय नि.आ.सू. के अनुबंध-**I** में यथा उल्लिखित प्रत्येक मदों के लिए अलग से किया जाएगा। एल-1 बोलीदाता का चयन अनुबंध-**II** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार (कुल(एन.पी.वी.) वर्तमान मूल्य) के आधार पर किया जाएगा। तथापि, वेंडर द्वारा उद्धृत वर्षवार इकाई दर के साथ लागू करों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(iii) **प्रस्ताव की गैर-स्वीकृति के आधार पर मूल्यांकन :-**

एल-1 बोलीदाता के दर को एल-2 बोलीदाता को प्रस्तावित किया जाएगा। यदि एल-2 बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना करने पर प्रस्ताव तीसरे बोलीदाता (एल-3) को एल-1 बोलीदाता के उद्धृत दर पर दिया जाएगा। एल-1 बोलीदाता प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य है अन्यथा उसकी धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। एल-3 बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत करने की स्थिति में एल-1 बोलीदाता के उद्धृत दर पर अंतिम पात्र बोलीदाता तक उपर्युक्त प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

15. बोलियां, तकनीकी बोलियां खोले जाने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक की अवधि के लिए वैध रहेंगी।

16. कल्पित, सशर्त या अपूर्ण बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. संघ लोक सेवा आयोग को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18. आयकर : यथा लागू बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य। बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता सं. (पैन) प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 सहित पिछले तीन वर्षों का फर्म का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाताओं को अनुबंध-**II** के अनुसार एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें पूर्ववर्ती तीन वर्षों

के दौरान आय / धन को छिपाने के लिए न तो दंडित किया गया है और न ही दोषी करार दिया गया है।

19. बोलीदाता, फर्म का माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

20. **सुपुर्दगी अनुसूची**: विक्रेता वेंडर को आपूर्ति आदेश जारी किए जाने के 20 दिनों के भीतर आदेश किए गए सामग्री की सुपुर्दगी करनी होगी। तथापि, आपात स्थिति में, आपूर्तिकर्ता को अपेक्षित वस्तुओं की शीघ्र आपूर्ति के लिए कहा जा सकता है और इस कार्यालय को भेजे गए वस्तुओं संबंधी व्यय का वहन संबंधित फर्म द्वारा किया जाएगा।

21. **भुगतान की शर्तें** : वेंडर द्वारा सामग्रियों की सफल आपूर्ति और प्रयोक्ता शाखा द्वारा इसकी पुष्टि करने के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

22. **जोखिम क्रय खंड :** यदि फर्म, बोली प्रस्तुत होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद निविदा दस्तावेज़ों के निबंधन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और / या नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है तो सं.लो.से.आ. को धरोहर जमा राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को भुनाने और फर्म के जोखिम और व्यय पर अन्य फर्म से कार्य कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म के बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अंतर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों के साथ फर्म से की जाएगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है और यदि लागत कम हो तो फर्म को इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

23. **परिसमापन क्षति :** प्रत्येक आपूर्ति आदेश जारी होने के 20 दिनों के भीतर सामग्री की सुपुर्दगी करनी होगी, इसमें विफल होने पर प्रत्येक दिन के विलंब के लिए विलंबित वस्तु के मूल्य के 0.5% की दर से उस विशेष आपूर्ति आदेश के अधिकतम 10% के अध्यधीन परिसमापन क्षति लगाई जा सकती है और संबंधित बिलों से कटौती की जा सकती है। 20 दिनों से अधिक विलंब के मामले में संघ लोक सेवा आयोग, जैसा उचित समझे, आपूर्ति को रद्द कर सकता है और फर्म के निष्पादन प्रतिभूति से उस राशि को अथवा संपूर्ण राशि जब्त कर सकता है, इसके अलावा फर्म के जोखिम और लागत पर किसी अन्य स्रोत से सामग्री की खरीद कर सकता है। इस संदर्भ में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

24. **मध्यस्थता :** संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो इस संविदा के निष्कर्ष, अर्थ तथा प्रचालन या प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा

और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म, दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा।

25. **क्षेत्राधिकार :** मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी तथा उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी। दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

26. **अपरिहार्य घटना** : यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग अथवा बोलीदाता को संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किसी विफलता अथवा चूक अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण और नियंत्रण से बाहर के कारण जैसे, सिविल हड़ताल, तालाबन्दी, हड़ताल, दंगे, गृह युद्ध आदि के कारण इसके कार्य के निष्पादन में विलंब के मामलों में ऐसी चूक, विफलता अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और निष्पादन के अपने सम्बद्ध दायित्वों से मुक्त होंगे, बशर्ते एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना होने के 21 दिनों के भीतर सूचना दे देता है। कोई भी पक्षकार जब कभी अपरिहार्य घटनाओं के लिए नोटिस देता है तो उन्हें किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या चैम्बर ऑफ कॉर्मस से प्रमाण-पत्र के रूप में ऐसी घटना की पुष्टि करनी होगी। पक्षकारों को उनके संबंधित दायित्वों से तब तक राहत दी जाएगी जब तक अपरिहार्य स्थिति जारी रहती है और जिस हद तक उनका निष्पादन प्रभावित हुआ है, बशर्ते उपर्युक्तानुसार सूचनाएं दी गई हों और उपर्युक्तानुसार अपरिहार्य घटना के क्रम को स्थापित किया गया हो। तथापि, यदि संविदा के बदले निष्पादन को हड़ताल, तालाबंदी आदि, जो 60 दिन से अधिक है, के कारण रोका जाता है तो सं.लो.से.आ. को संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।

27. सफल बोलीदाता द्वारा असंतोषप्रद निष्पादन की स्थिति में सं.लो.से.आ. को यह विवेकाधिकार होगा कि वह सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाए एक माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर दे और इसे किसी अन्य फर्म को प्रदान कर दे या इस कार्यालय को इस संबंध में हुई हानि / क्षति के लिए बोलीदाता से ऐसी रकम की वसूली करें। इस संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

28. सामग्री के नमूनों को सभी कार्य दिवसों पर सामान्य-2 अनुभाग (दूरभाष सं. 011-23381141) में 3.00 बजे अपराह्न और 5.00 बजे अपराह्न के बीच देखा जा सकता है।

29. इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित हेल्पलाइन नं. 011-23381141 पर संपर्क किया जा सकता है ।

30. वर्तमान समय के COVID-19 महामारी को देखते हुए, वेंडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग में तैनात उसके सभी कर्मचारी रोकथाम, स्वच्छता,

सामाजिक दूरी रखने संबंधी उपायों आदि पर भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन करें।

31. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

(आर. के. दीक्षित)
अवर सचिव (सा-II)

अनुबंध-I

आवश्यकता की अनुसूची (एसओआर) और विशिष्ट विवरण

गोपनीय शाखा हेतु तीन वर्ष के लिए परीक्षा सामग्री की खरीद हेतु निविदा

क्रम संख्या	मदें	विशिष्ट विवरण	वर्षवार संभावित मात्रा***		
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	हल्का भूरा चिपकाने वाला टेप	**03** इंच चौड़ाई, **55** माइक्रोन, बीच में काले रंग में संघ लोक सेवा आयोग की बोल्ड छपाई	2,75,000 मीटर	2,75,000 मीटर	2,75,000 मीटर
2	पारदर्शी सफेद चिपकाने वाला	**03** इंच चौड़ाई, **55** माइक्रोन, काले रंग में संघ लोक सेवा आयोग की छोटी छपाई	3,25,000 मीटर	3,25,000 मीटर	3,25,000 मीटर
3	पीले रंग में सुरक्षा टैग लेबल	एक तरफ में काले रंग से "सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-**110069"** छापा गया हो।	कुल 55,000	कुल 55,000	कुल 55,000

टिप्पणी:-

1. अनुमानित वार्षिक मात्रा अनंतिम है जो संघ लोक सेवा आयोग की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
2. ऊपर दी गई एसओआर तालिका की सभी मदें नमूने के अनुसार होनी चाहिए जो सामान्य-**II** अनुभाग, कमरा संख्या **007**, एएसबी, संघ लोक सेवा आयोग में देखे जा सकते हैं।
3. सभी बोलीदाताओं को उपर्युक्त एसओआर तालिका में दिए गए अनुसार मदों की विशिष्टताओं का अनुपालन करना होगा।

अनुबंध- II

मूल्य बोली प्रपत्र

बोलीदाता को सीपीपी पोर्टल में केवल बीओक्यू प्रारूप में मूल्य बोली को अपलोड करना अपेक्षित है। किसी अन्य प्रारूप में मूल्य बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। तकनीकी बोली में किसी अन्य तरीके से मूल्य बोली उदधृत करने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। मूल्य अनुसूची का सामान्य प्रारूप निम्नानुसार है :-

परीक्षा सामग्री की खरीद हेतु निविदा
(वित्तीय बोली)

क्रम.सं.	मद	इकाई दर(भारतीय रूपए में) (कर रहित)			यथा लागू कर (%में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1.	हल्का भूरा चिपकाने वाला टेप (03 इंच चौड़ाई, 55 माइक्रोन, बीच में काले रंग में संघ लोक सेवा आयोग की बोल्ड प्रिंटिंग)				
2.	पारदर्शी सफेद चिपकाने वाला टेप (3 इंच चौड़ाई, 55 माइक्रोन, काले रंग में संघ लोक सेवा आयोग की छोटी छपाई)				
3.	पीले रंग में सुरक्षा टैग लेबल (एक तरफ काले रंग से "सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069" छापा गया हो।)				

टिप्पणी :

1. करों को, यदि कोई हो, अलग से उद्धृत किया जाएगा, ऐसा न करने पर उद्धृत दरों को करों सहित के तौर पर लिया जाएगा और इस कार्यालय द्वारा करों को शामिल किए जाने हेतु आगे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ये कर समय-समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवर्तनाधीन होगी।

2. दरों में संघ लोक सेवा आयोग को सामग्री के परिवहन / अनलोडिंग से संबंधित सभी शुल्क शामिल होंगे।

3. प्रथम वर्ष निविदा प्रदान करने की तारीख से शुरू होगा।

4. दरें संपूर्ण निविदा अवधि के लिए स्थिर रहेंगी और एफ.ओ.आर गंतव्य के आधार पर उद्धृत की जाएंगी। सामग्री की कीमतों में वृद्धि निविदा को प्रभावित नहीं करेगी और बोलीदाता को इस तरह की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप राशि में किसी भी अंतर का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

5. यदि दो बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान पाई जाती हैं, तो एल-1 बोलीदाता के तौर पर उन्हें लिया जाएगा जिनका पिछले 3 (तीन) वर्षों का संचयी वार्षिक कारोबार अधिक होगा।

<u>वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मानदण्ड</u>

(i) बोलीदाता मूल्य अनुसूची के एक या एक से अधिक या सभी मदों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ii) सभी तीन वर्षों के लिए प्रत्येक मदों हेतु उदधृत दरों (करों को छोड़कर) को ध्यान में रखते हुए वित्तीय मूल्यांकन किया जाएगा। **प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग एल-1 का निर्णय लिया जाएगा।** एल-1 का चयन एनपीवी (कुल वर्तमान मूल्य) के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक मद के लिए एनपीवी का परिकलन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा:

- NPV (कुल वर्तमान मूल्य) की गणना 10% की वार्षिक छूट की दर पर की जाएगी। एल-1 फर्म तय करने के लिए गणना का विवरण नीचे दिया गया है: -
  NPV = {वाई1+वाई2/(1+ 0.1) + वाई3/$(1 + 0.1)^2$}
  [NPV = कुल वर्तमान मूल्य; वाई 1 = प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत; वाई 2 = दूसरे वर्ष के लिए उद्धृत और वाई 3 = तीसरे वर्ष के लिए उद्धृत]

NPV के उदाहरण:

(क) यदि वाई1 = 150, वाई2 = 200 और वाई3 = 240, तो NPV की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी:-

NPV = 150 + (200/1.1) + (240/1.21)
= 150 + 181.82 + 198.35
= 530.17

इस प्रकार, NPV 530.17रु. है

(ख) यदि वाई1 = 300, वाई2 = 250 और वाई3 = 200, तो NPV की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी:-

NPV = 300 + (250/1.1) + (200/1.21)
= 300 + 227.27 + 165.29
= 692.56

इस प्रकार NPV 692.56 रु. है

एल-1 वेंडर का चयन NPV के आधार पर होगा। तथापि, वेंडर द्वारा उद्धृत वर्ष-वार दर और यथा लागू करों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

अनुबंध-III

हमने, ____ (फर्म का नाम और पता) आपके द्वारा गोपनीय शाखा के लिए परीक्षा सामग्री की खरीद हेतु निविदा के संबंध में आपके नि.आ.सू. के प्रत्युत्तर में दिनांक ________________ को एक तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। जैसा कि नि.आ.सू. के तहत आवश्यक है, हम एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं: -

1. कि निविदा के सभी निबंधन और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. कि हम नि.आ.सू. के विनिर्देशों को पूरी तरह से समझते हैं और हमारी बोली पूर्णतया नि.आ.सू. के नियमों और शर्तों के अनुसार है।
3. फर्म का पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कम से कम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का कारोबार है।
4. कि मुझे/हमें तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित या दोषी नहीं ठहराया गया है।
5. कि मुझे/हमें किसी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक-लिस्ट नहीं किया गया है।
6. फर्म का विवरण नीचे दिया गया है:-

1.	**फर्म का नाम**	
2.	**कार्यालय का पता**	
3.	**दूरभाष सं./मोबाइल नं.**	
4	**ई-मेल**	

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध -IV

घोषणा

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा कोई भी संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) नई दिल्ली में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है तो सं.लो.से.आ. को मुझे कोई पूर्व सूचना दिए बिना उचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांकः ....

(फर्म की मुहर के साथ
बोलीदाता का दिनांकित हस्ताक्षर)

अनुबंध-V

जांच-सूची

क्रम सं.	विवरण	हां/नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क्या ईएमडी की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है**;**		
2.	क्या वर्ष 2020-2021 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए फर्म के आयकर रिटर्न की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति संलग्न है;		
3.	क्या वित्त वर्ष 2020-2021 सहित पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए फर्म की सीए द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट /लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां संलग्न हैं;		
4.	क्या वित्त वर्ष 2020-21 सहित पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए फर्म के वार्षिक कारोबार का उल्लेख करते हुए सीए द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है**;**		
5.	क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2 क्रय आदेशों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां संलग्न हैं;		
6.	क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है;		
7.	क्या जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है;		
8.	क्या अनुबंध-I में उल्लिखित मदों का नमूना (दिनांकित हस्ताक्षर और फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर के साथ) संघ लोक सेवा आयोग के सुपुर्द किया गया है;		
9.	क्या अनुबंध-III के अनुसार प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है;		
10.	क्या अनुबंध-**IV** के अनुसार घोषणा की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति संलग्न है।		

(फर्म का प्राधिकृत नाम और पता)
दूरभाष. नं./मोबाईल नं./फैक्स नं.

ऑन-लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग कर सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑनलाईन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑन-लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण

(1) बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर **"ऑन-लाइन बोलीदाता एनरॉलमेंट"** लिंक पर क्लिक करके केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल पर (यूआरएल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) पंजीकरण करना है जो नि:शुल्क है।

(2) एनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा।

(3) बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। इसे सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

(4) एनरॉलमेंट हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात् सीफी / टीसीएस / एनकोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी-II या श्रेणी-III प्रमाण पत्र) को पंजीकृत करना अपेक्षित होगा।

(5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है।

(6) बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी / पासवर्ड और डीएससी / ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें।

निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना :

(1) सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है, जो कई पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान करती है। इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, लोकेशन, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे। निविदा की एडवान्सड सर्च के लिए भी विकल्प मौजूद हैं जिसमें बोलीदाता कई सर्च पैरामीटरों जैसे संगठन का नाम, संविदा का रूप, लोकेशन, तारीख, अन्य की-वर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए संयोजित कर सकते है।

(2) बोलीदाता एक बार अपनी पसंद की निविदा का चयन करने के बाद अपेक्षित दस्तावेज/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज़ के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी दे सकेगा।

(3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/मदद चाहते हैं।

बोली तैयार करना :

(1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें और यह समझ लें कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले कौन-से दस्तावेज़ अपेक्षित हैं। कृपया लिफाफों की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या नोट कर लें। इनसे होने वाले किसी भी विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

(3) बोलीदाता को अग्रिम रूप में बोली दस्तावेज़/ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज़ पीडीएफ/ एक्सएलएस/ आरएआर/ डीडब्ल्यूएफ/ जेपीजी फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित **100 डीपीआई** के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकर को छोटा करने में मदद करता है।

(4) मानक दस्तावेज़ों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके पास उपलब्ध "माई स्पेस" क्षेत्र या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा।

टिप्पणी: माई डॉक्यूमेंट स्पेस बोलीदाताओं को केवल अपलोड की प्रक्रिया आसान करने के लिए दी गई है। यदि बोलीदाता ने माई डॉक्यूमेंट स्पेस में अपने दस्तावेज अपलोड किया है, तो यह स्वत: सुनिश्चित नहीं करता है कि ये दस्तावेज तकनीकी बोली का हिस्सा है।

बोली प्रस्तुत करना :

(1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही साईट पर लॉग-इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सके। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी विलंब के लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होंगे।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में इंगित किए अनुसार अपेक्षित बोली दस्तावेज़ों को एक-एक कर डिजिटल हस्ताक्षर करना है और अपलोड करना है।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / धरोहर जमा राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफलाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और लिखत का विवरण दर्ज करना होगा।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि तैयार करना चाहिए। मूल दस्तावेज़ डाक / कुरियर द्वारा/ संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकृत माध्यम या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने स्वीकृत फार्मेंट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू फार्मेंट में दिया गया है, तो उसे डाउनलोड किया जाना और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है, इसे खोलें और सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) से पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को बदले बिना इसे ऑन-लाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा बदला हुआ पाया जाता है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ एन्क्रिपशन तकनीक पी.के. आई. का प्रयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड करने होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक दर्ज किए गए आंकड़ों को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। एन्क्रिपशन तकनीक के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता का अनुरक्षण किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों के डेटा स्टोरेज का एन्क्रिपशन किया गया है। प्रणाली जनित सिमेट्रिक की का उपयोग करते

हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई बोली दस्तावेज सिमेट्रिक एन्क्रिपशन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह की असीमैट्रिक एन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता/ बोली खोलने वाली सार्वजनिक की के अध्यधीन है। समग्र तौर पर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे।

(9) सफल तथा समयबद्ध तरीके से बोली प्रस्तुत किए जाने के बाद (अर्थात् पोर्टल में "फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश भेजेगा और बोली सं. और सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली का सारांश प्रदर्शित हो जाएगा।

(10) बोली के सारांश को प्रिंट किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे अपने पास रख लें। इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए प्रवेश पत्र के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

11. बोलीदाताओं को सहायता

1. निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

2. ऑन-लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न के लिए 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित किया जा सकता है। सहायता पटल के लिए संपर्क नं. 1800 3070 2232 है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 की भी मदद ले सकते हैं।